मध्यप्रदेश विधान सभा

जुलाई-अगस्त, 2005 सत्र

दैनिक कार्य सूची

मंगलवार, दिनांक 26 जुलाई, 2005 (श्रावण 4, 1927)

समय 10.30 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर

पृथकत: वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

2. अध्यादेशों का पटल पर रखा जाना

डॉ. नरोत्तम मिश्रा, राज्यमंत्री विधि और विधायी कार्य, भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 की अपेक्षानुसार निम्नलिखित अध्यादेशों को पटल पर रखेंगे :-

(1) मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान (संशोधन) अध्यादेश, 2005 (क्रमांक 1 सन् 2005) ;तथा

(2) मध्यप्रदेश जिला योजना समिति (संशोधन) अध्यादेश, 2005 (क्रमांक 2 सन् 2005).

3. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री बाबूलाल गौर, मुख्यमंत्री -

(i) कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड का 22वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2003-2004, तथा

(ii) विद्युत अधिनियम, 2003 (क्रमांक 36 सन् 2003) की धारा 182 की अपेक्षानुसार ऊर्जा विभाग की निम्नलिखित अधिसूचनाएं पटल पर रखेंगे-

(क) अधिसूचना क्रमांक 751-म.प्र.वि.नि.आ.-05, दिनांक 28 मार्च, 2005

(ख) अधिसूचना क्रमांक 1077/म.प्र.वि.नि.आ./2005, दिनांक 5 मई, 2005; एवं

(ग) अधिसूचना क्रमांक 1431/म.प्र.वि.नि.आ./2005, दिनांक 16 जून, 2005

(2) श्री हिम्मत कोठारी, वन मंत्री, कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश राज्य वन विकास निगम लिमिटेड का 29वां वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखे वर्ष 2003-2004 पटल पर रखेंगे.

(3) श्री गोपाल भार्गव, कृषि मंत्री, कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार दि मध्यप्रदेश स्टेट एग्रो इन्डस्ट्रीज डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड का 33वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे वर्ष 2001-2002 पटल पर रखेंगे.

4. फरवरी-मार्च, 2005 सत्र निर्धारित अवधि से पूर्व स्थगित हो जाने के फलस्वरूप शेष दिनांकों के प्रश्नोत्तरों का संकलन तथा इसी सत्र के अपूर्ण उत्तरों के पूर्ण उत्तरों का पटल पर रखा जाना.

5. नियम 267-क के अधीन फरवरी-मार्च, 2005 सत्र में पढ़ी गई सूचनाओं तथा उनके उत्तरों का संकलन पटल पर रखा जाना.

6. राष्ट्रपति/राज्यपाल की अनुमति प्राप्त विधेयकों की सूचना

7. नियम 138 (1) के अधीन ध्यान आकर्षण

(1) श्री राजनारायण सिंह पुरनी, सदस्य, खंडवा जिले के बुरहानपुर वन मंडल में सागोन के वृक्षों की कटाई किये जाने की ओर वन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) श्री बृजेन्द्र तिवारी, सदस्य, ग्वालियर जिले के घाटीगांव विकास खण्ड की जनपद को सूखाग्रस्त की सूची से निकाले जाने से उत्पन्न स्थिति की ओर राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

8. सभापति तालिका की घोषणा

9. प्रतिवेदन की प्रस्तुति

श्री प्रकाश सोनकर, सदस्य, नियम समिति का द्वितीय प्रतिवेदन पटल पर रखेंगे.

10. वर्ष 1990-91, 1991-92 तथा 1992-93 के आधिक्य व्यय के विवरण का उपस्थापन

श्री राघवजी, वित्त मंत्री, वर्ष 1990-91, 1991-92 तथा 1992-93 के आधिक्य व्यय के विवरण का उपस्थापन करेंगे.

11. शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) श्री हिम्मत कोठारी, वन मंत्री, मध्यप्रदेश लोक वानिकी (संशोधन) विधेयक, 2005 (क्रमांक 8 सन् 2005) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे.

(2) डॉ. नरोत्तम मिश्रा, राज्यमंत्री विधि और विधायी कार्य, मध्यप्रदेश ग्राम न्यायालय (संशोधन) विधेयक, 2005 (क्रमांक 9 सन् 2005) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे.

12. नियम 139 के अधीन अविलंबनीय लोक महत्व के विषय पर चर्चा

प्रदेश के विभिन्न जिलों में अति वृष्टि एवं बाढ़ से उत्पन्न स्थिति के संबंध में सर्वश्री गजराज सिंह सिकरवार,सत्यदेव कटारे, श्रीमती सरोज बच्चन नायक, डॉ. आई.एम.पी. वर्मा, श्री रामलखन शर्मा, सर्वश्री इन्द्रजीत कुमार, राजेश पटेल, रविन्द्र सुका महाजन, सज्जन सिंह वर्मा, सुखदेव पांसे, तथा श्री बुन्देला विजय बहादुर सिंह, सदस्य, चर्चा उठायेंगे.

डॉ. ए.के. पयासी
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

भोपाल :
दिनांक 25 जुलाई, 2005